सं. ए 12023/1/2014-स्थापना-I.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(स्थापना-I)

***

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकारी का चयन।

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के एक पद को केन्द्र/राज्य सरकारों/संगठित लेखा सेवा में कार्यरत उपयुक्त अधिकारियों के बीच से प्रतिनियुक्ति आधार पर पे- बैंड-3(15,600-39,100 रुपए) तथा ग्रेड पे 6,600 रुपए के वेतनमान में भरा जाना अपेक्षित है, जो कि निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-बैंड-3(15600-39,100 रुपए) और 5400 के ग्रेड-पे में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा अथवा समतुल्य सहित; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं (जो संगठित लेखा सेवा को छोड़कर केन्द्रीय/राज्य सरकारों से संबंधित अधिकारियों के मामले में लागू होगा) में कोई एक अर्हता है-

(i) केन्द्रीय सरकार के किसी एक संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा/कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण,

(ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो अथवा योग्यता प्राप्त चार्टर्ड लेखाकार अथवा लागत लेखाकार अथवा व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर हो और जिनके पास केन्द्र सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय अथवा विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव हो।

2. केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अशोक कौशिक
15/6/15

3. केन्द्रीय जल आयोग का लेखा अधिकारी आयोग के लेन देन के लेखों और रख रखाव की वित्तीय नियमितताओं को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी होता है। अन्य बातों के साथ साथ उसके कर्तव्यों में आयोग के लेखा और बजट अनुभाग का समग्र पर्यवेक्षण करना, वित्त और लेखा से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्राधिकारियों को सलाह देना, व्यय और वसूली की निगरानी करना आदि, शामिल हैं। इस पद का मुख्यालय इस समय दिल्ली में स्थित है।

4. चुने गए अधिकारी का वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 05.01.94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22/9/91-स्थापना (वेतन-II) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों, जिनके वेतनमान को 1.1.1973 के बाद महंगाई भत्ते आदि को मिलाकर संशोधित किया गया है, का वेतन और भत्ता अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 26.12.1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/84-स्थापना (वेतन-II) के अनुसार निर्धारित किया जाता है। चयनित अधिकारी को केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में तैनात किए जाने की संभावना है।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि विज्ञापन को सभी संबंधित विभाग/संगठनों में परिचालित किया जाए और इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनके चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन को (i) 31.03.2015 तक की गोपनीय रिपोर्टों सहित पूर्ण अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर (ii) निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (iii) इस आशय का प्रमाण पत्र कि अधिकारी के विरूद्ध कोई भी सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही चलाए जाने का विचार है (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए, यदि कोई हो, दण्डों के ब्यौरे सहित संलग्न प्रपत्र (5 प्रति में) इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अवर सचिव (ई-I), जल संसाधन, नदी विकास ओर गंगा संरक्षण मंत्रालय, कमरा सं.435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर भेज दें। अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विवरण इस मंत्रालय के वेबसाइट www.mowr.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अशोक कौशिक
15/6/15

(ए.के.कौशिक)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.-2371 6928

प्रपत्र

लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग के पद हेतु आवेदन

1. नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में :
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में) :
3. केन्द्र/राज्य सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख :
4. शैक्षिक योग्यता :
5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

	अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
1.		
2.		
3.		

6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं :
7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें।) :

कार्यालय/संगठन का नाम	धारित पद	धारित पद की अवधि		वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरूप, संक्षेप में
		से	तक		

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाई :
9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें :

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि

(ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम

10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :
कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-
(क) केन्द्र सरकार
(ख) राज्य सरकार
(ग) स्वायत्त संगठन
(घ) सरकारी उपक्रम
विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें :

12. वर्तमान में आहरित कुल परिलब्धियां :

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों। अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। :

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। :

15. अभ्युक्तियां

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पता....................................

दिनांक:……………………..
प्रति हस्ताक्षरित.......................
(नियोक्ता द्वारा मुहर सहित)

नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला जांच/प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की व्यक्ति के सेवावृत्त (सर्विस रिकार्ड) के अनुसार जांच कर ली गई और सही पायी गई।

श्री/सुश्री.. के सेवावृत्त जिन्होंने केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया है, की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी निष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री/सुश्री.. के सेवावृत्त जिन्होंने केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है और न ही अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

उनके चयन होने की स्थिति में, श्री/सुश्री.. को इस कार्यालय में उनके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

(कार्यालय मुहर सहित हस्ताक्षरित)

नाम:

पदनाम :

दूरभाष :

दिनांक:

टिप्पणी : अपूर्ण आवेदनों अथवा इस प्रारूप/विवरण के अनुसार प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

श्री/सुश्री... के संबंध में पिछल दस वर्षों के दंड संबंधी विवरण

क्र.सं.	दंड का नाम	दंड के ब्यौरे	अवधि	अभ्युक्ति

(कार्यालय मुहर सहित हस्ताक्षरित)

नाम:

पदनाम :

दूरभाष :

दिनांक:

टिप्पणी : यदि कोई दंड नहीं दिया गया है तो 'शून्य' विवरण दें।